"मिलावटी" नहीं है, जिसके लिए आपराधिक शिकायत और बाद की कार्यवाही को रद्द करने की आवश्यकता हो सकती है।

(12) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस याचिका में कोई योग्यता नहीं पाए जाने पर, इसे खारिज कर दिया जाता है।परन्तु यह स्पष्ट किया जाता है कि विद्वत विचारण न्यायालय उपरोक्त टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना गुण-दोष के आधार पर मामले का निर्णय करेगा।

आर.एन.आर

न्यायमूर्ति वी. एम. जैन के समक्ष

हरियाणा राज्य-याचिकाकर्ता

बनाम

चंदर मोहन और एक *अन्य-उत्तरदाता*

सीआरएल. एम. नं. 21953/एम 200

24 जनवरी, 2001

पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1914-धारा *61 (जैसा कि 1996 में हरियाणा राज्य में संशोधित किया गया था)-अभियुक्त के पिता की अलमारी से शराब की दो पव्वा बोतलों की बरामदगी-शराब के होश में न होने का अभियुक्त-उस घर के अभियुक्त मालिक जहां से ऐसी बरामदगी की गई थी-क्या अभियुक्त को अधिनियम की धारा 61 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराने के लिए* पर्याप्त *है-नहीं।*

यह अभिनिर्धारित किया गया कि पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत, जैसा कि हरियाणा राज्य में संशोधित किया गया था और जैसा

कि 22 दिसंबर, 1996 को कथित बरामदगी के समय लागू होता था, किसी व्यक्ति द्वारा केवल शराब रखना एक अपराध था।शराब के कब्जे में पाए जाने के लिए किसी व्यक्ति को अपराध का दोषी ठहराने के लिए, कब्जा सचेत कब्जा होना चाहिए। यह नहीं कहा जा सकता है कि आरोपी-प्रतिवादी के पास जानबूझकर शराब थी, जो कथित तौर पर एक शयनकक्ष की अलमारी से बरामद की गई थी, जो आरोपी-प्रतिवादी के पिता की बताई गई थी। अभिलेख पर रखी गई सामग्री के आधार पर, नीचे दी गई दोनों अदालतों की राय थी कि अभियुक्त-प्रत्यर्थियों के खिलाफ आरोप निराधार था।दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत वर्तमान याचिका में इस अदालत द्वारा हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है, खासकर तब जब याचिकाकर्ता नीचे के न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों में किसी भी अवैधता या अनियमितता को इंगित करने में विफल रहा हो।

(पारस 11 और13)

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973- धारा 397 *(3) और धारा 482- अतिरिक्त सी. जे. एम.* ने *अपराध के अभियुक्त को आरोपमुक्त किया- राज्य द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए सत्र न्यायालय- क्या न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ राज्य द्वारा दायर याचिका धारा 482 के तहत अभियुक्त को विचारणीय रूप से आरोपमुक्त करने योग्य* है-हाँ।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि यद्यपि धारा 397 की उप-धारा (1) के अधीन उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण उसकी उप-धारा (3) द्वारा निषिद्ध है, तथापि उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति अभी भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन उपलब्ध है और चूंकि यह धारा 483 के तहत उच्च न्यायालय के निरंतर पर्यवेक्षण की सर्वोपरि

शक्ति है, इसलिए उच्च न्यायालय न्याय की विफलता के आदेश में हस्तक्षेप करने और नीचे दिए गए न्यायालयों के आदेश को दरकिनार करने में उचित है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त को आरोपमुक्त करने के तहत अदालतों द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ हरियाणा राज्य द्वारा दायर धारा 482 सीआरपीसीके तहत याचिका विचारणीय नहीं थी या पूरी तरह से खारिज होने के लिए उत्तरदायी थी।

(पैरा 7 &9)

एल. डी. मेहता, *अतिरिक्त महाधिवक्ता. हरियाणा।*

याचिकाकर्ता के लिए

वरिष्ठ अधिवक्ता एच. एल. सिब्बल अधिवक्ता कुमार सेठी के *साथ/*
उत्तरदाताओं के लिए

निर्णय

(1) यह याचिकाकर्ता राज्य द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दाखिल एक याचिका है जिसमें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित 26 मई, 1999 के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित 27 फरवरी, 1999 के आदेश को बरकरार रखते हुए, थाना सिविल लाइंस, हिसार की 22 दिसंबर, 1996 की एफ.आई.आर संख्या 473 से उत्पन्न है जिसमें पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपी को आरोपमुक्त कर दिया।

(2) वर्तमान याचिका के निर्णय के लिए जो तथ्य प्रासंगिक हैं, वे यह हैं कि सी. बी. आई. के एच. एस. चोपड़ा एक मामले की जांच कर रहे थे और जांच के दौरान उन्होंने मकान नंबर 108, सेक्टर 15-ए, भाग II, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, हिसार की तलाशी ली।तलाशी के दौरान, शराब की दो बोतलें "रॉयल सैल्यूट" बरामद की गईं।प्रत्येक बोतल से, तीन चौथाई सामग्री पहले ही खपत हो चुकी थी और दोनों बोतलों में केवल एल/चौथी सामग्री उपलब्ध थी।इसके बाद डी. एस. पी. एच. *एस.* चोपड़ा ने एस. एच. ओ. थाना सिविल लाइन्स, हिसार को उपरोक्त बरामदगी और आवश्यक कार्रवाई के बारे में सूचित करने के लिए *एक* रक्का भेजा।उक्त रक्का की प्राप्ति पर, पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 61 के तहत औपचारिक प्राथमिकी पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी।।इसके बाद उक्त पुलिस थाने के एस. एच. ओ. इंस्पेक्टर इंदर सिंह मौके पर पहुंचे और उक्त शराब को दो चौथाई बोतलों में डालने के बाद उसे अपने कब्जे में ले लिया।मौके पर फ़र्द बरामदगी भी तैयार किया गया था, जिस पर डीएसपी एच. एस. चोपड़ा और एक मोहिंदर सिंह, एस. डी. ई., बागवानी ने हस्ताक्षर किए थे। फ़र्द बरामदगी में यह उल्लेख किया गया था कि दोनों बोतलें एक शयनकक्ष की अलमारी से बरामद की गई थीं।यह उल्लेख किया गया था कि उक्त शयनकक्ष चौधरी भजन लाल का था।

(3) जांच के दौरान, पुलिस ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से साक्ष्य एकत्र किए, जिसमें कहा गया कि मकान नंबर 107/108, सेक्टर 15-ए, भाग II, हिसार, आरोपी उत्तरदाताओं चंद्र मोहन और कुलदीप सिंह के स्वामित्व में था। स्वामित्व अभियुक्त प्रतिवादीगण श्री भजन लाल के बेटों चंदर मोहन और, कुलदिप सिंह के पास था। इसके बाद, आरोपी प्रतिवादियों चंदर मोहन और कुलदिप सिंह को पंजाब आबकारी अधिनियम

की धारा 61 के तहत अपराध के लिए इस मामले में गिरफ्तार किया गया। जाँच पूरी होने के बाद चालान अदालत में पेश किया गया ।अभियुक्त प्रतिवादी को आवश्यक दस्तावेज प्रदान किए गए।

(4) दोनों पक्षों को सुनने और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद, विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिसार ने धारा 239 सीआरपीसी के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 27 फरवरी, 1999 के आदेश के अनुसार पाया कि आरोपी उत्तरदाताओं के खिलाफ आरोप निराधार था और तदनुसार उक्त अपराध के आरोपी को आरोपमुक्त कर दिया गया। ।अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के उक्त आदेश से व्यथित हरियाणा राज्य ने सत्र न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की।विद्वत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दोनों *पक्षों* को सुनने के बाद और रिकॉर्ड को देखने के बाद, 26 मई, 1999 के फैसले के माध्यम से पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया।निचली अदालतों द्वारा पारित आदेशों से व्यथित हरियाणा राज्य ने धारा 482 करोड़ के तहत वर्तमान याचिका दायर की है। पी. सी. ने इस अदालत में, निचली अदालतों द्वारा पारित आदेशों को रद्द करने और आरोपी प्रतिवादीगण के खिलाफ पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोप तय करने की मांग की।

(5) मैंने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है और रिकॉर्ड को ध्यान से देखा है।

(6) वर्तमान याचिका में विचार के लिए पहला सवाल यह है कि धारा 482 सीआरपीसीके तहत इस अदालत की क्या शक्तियां हैं, जहां धारा 397 (3) सीआरपीसी के तहत दूसरा संशोधन वर्जित है।

(7) **कृष्णन एवं अन्य बनाम कृष्णवेनी एवं अन्य** में उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने अभिनिर्धारित किया था कि दंड प्रक्रिया संहिता धारा 397 (3) का उद्देश्य उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय में एक साथ पुनरीक्षण संबंधी आवेदनों पर रोक लगानी है ताकि अनावश्यक देरी और कार्यवाही की बहुलता को रोका जा सके।उक्त प्राधिकारी में आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति संहिता द्वारा प्रदत्त नहीं है, बल्कि वह है जो उच्च न्यायालय के पास पहले से है और जिसे उक्त संहिता द्वारा संरक्षित किया गया है।आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 की उप-धारा (3) में "व्यक्ति" शब्द है जिसमें स्वाभाविक व्यक्ति और न्यायिक व्यक्ति भी शामिल होंगे और निहितार्थ से "राज्य" को "व्यक्ति" शब्द के दायरे से बाहर रखा गया है, जिसका उद्देश्य दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 के तहत उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण शक्ति का लाभ उठाने के अपने अधिकार को सीमित करना है। इस कारण से कि अपराधी का अभियोजक होने के नाते राज्य को समाज की ओर से अभियोजन चलाने और ऐसे उपचारात्मक कदम उठाने का आदेश दिया गया है जो उसे उचित लगे।उक्त प्राधिकारी में आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 (3) के तहत निषेध। उच्च न्यायालय को दी गई पुनरीक्षण शक्तियों पर पी. सी. तब लागू नहीं होगी जब राज्य दंड संहिता की धारा 401 के तहत पुनरीक्षण की मांग करता है। पी. सी. और राज्य को उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण शक्तियों का लाभ उठाने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है।उक्त प्राधिकारी में आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि सामान्य रूप से जब पुनरीक्षण दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 (3) द्वारा वर्जित किया गया है। एक व्यक्ति-अभियुक्त/शिकायतकर्ता-को धारा 397 (1) के तहत या

धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों के तहत उच्च न्यायालय में संशोधन करने का सहारा लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। क्योंकि यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 (2) या 397 (3) के प्रावधानों का उल्लंघन हो सकता है।आगे यह अभिनिर्धारित किया कि यह न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने या प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए है कि उच्च न्यायालय को अंतर्निहित शक्तियों के साथ संरक्षित किया जाता है और ऐसी परिस्थितियों में ऐसी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करना उचित होगा और एक उपयुक्त मामले में, धारा 401 के साथ पठित धारा 397 (1) के तहत पुनरीक्षण शक्ति भी, लेकिन इसका प्रयोग संयम से किया जा सकता है ताकि प्रक्रिया की अनावश्यक बहुलता, मुकदमे में आवश्यक देरी और कार्यवाही के विलंब से बचा जा सके।माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पहले दिए गए विभिन्न निर्णयों पर विचार करने के बाद, उनके अध्यक्षों द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यद्यपि धारा 397 की उप-धारा (1) के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष संशोधन उसकी उप-धारा (3) द्वारा निषिद्ध है, उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति अभी भी धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत उपलब्ध है। और चूंकि यह धारा 483 के तहत उच्च न्यायालय के निरंतर पर्यवेक्षण की सर्वोपरि शक्ति है, इसलिए उच्च न्यायालय न्याय-हत्या के आदेश में हस्तक्षेप करने और नीचे दिए गए न्यायालयों के आदेश को रद्द करने में उचित है।

(8) **राजथी *बनाम सी. गणेशन*** (2) में, कृष्णन एवं अन्य बनाम कृष्णवेनी में सर्वोच्च न्यायालय में लॉर्डशिप्स द्वारा निर्धारित कानून पर विचार करने के बाद यह माना गया था कि धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत शक्ति का प्रयोग दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 के

तहत दूसरे संशोधन का विकल्प नहीं है। आगे कहा कि केवल यह तथ्य कि उच्च न्यायालय को प्रदत्त अंतर्निहित शक्तियां विशाल हैं, इसका मतलब यह होगा कि ये सीमित हैं और इन्हें केवल कुछ निर्धारित सिद्धांतों पर लागू किया जा सकता है।

(9) उपरोक्त प्राधिकारियों में उच्चतम न्यायालय के उनके अधिपतियों द्वारा निर्धारित कानून को देखते हुए, मेरी राय में, यह नहीं कहा जा सकता है कि वर्तमान याचिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत रखरखाव योग्य नहीं था या पूरी तरह से बर्खास्त होने के लिए उत्तरदायी था।दूसरी ओर, इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या इस न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शक्तियों के प्रयोग में हस्तक्षेप के लिए कोई मामला बनाया गया था। यहां तक कि इस पर विचार किया जाना चाहिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 401 के साथ पठित धारा 397 के तहत अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह मानते हुए कि यह हरियाणा राज्य द्वारा अभियुक्त को आरोपमुक्त करने के आदेशों के खिलाफ दायर एक याचिका है।

(10) वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, शराब की दो बोतलें, जिनमें से प्रत्येक बोतल से तीन चौथाई सामग्री का सेवन पहले ही किया जा चुका था, एक कमरे की अलमारी से बरामद की गई थी जो चौधरी भजन लाल के कब्जे में थी। अभियुक्त प्रतिवादीगण पर शराब की उक्त दो पौवा बोतलों को इस आधार पर रखने के लिए मुकदमा चलाया गया कि वे उस घर के मालिक थे जिसके घर से शराब की बोतलें बरामद की गई थीं।जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अभियोजन पक्ष के अनुसार भी आरोपी प्रतिवादीगण के पिता चौधरी भजन लाल के शयनकक्ष की अलमारी से बरामदगी की गई थी।विचार के लिए जो प्रश्न आता है वह यह है कि क्या अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए

गए इन आरोपों के आलोक में क्या वह यह कह सकता है कि आरोपी प्रतिवादीगण के पास शराब की बोतलें सचेत रूप से थीं और क्या अभियुक्त प्रतिवादीगण को आरोपमुक्त करने के तहत अदालतों द्वारा पारित आदेशों के तहत, इस अदालत द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करने में हस्तक्षेप की आवश्यकता है, साथ-साथ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 401 के साथ पठित धारा 397 के तहत अपनी शक्तियों के प्रयोग में भी।

(11) पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम, जैसा कि हरियाणा राज्य में संशोधित किया गया था और जैसा कि 22 दिसंबर, 1996 को कथित बरामदगी के समय लागू था, के तहत, किसी व्यक्ति द्वारा केवल शराब रखना एक अपराध था।शराब के कब्जे में पाए जाने के लिए किसी व्यक्ति को अपराध का दोषी ठहराने के लिए, कब्जे को सचेत कब्ज़ा होना होगा।

विचार के लिए जो प्रश्न आता है वह यह है कि क्या वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर यह कहा जा सकता है कि आरोपी प्रतिवादीगण के पास शराब की दो पव्वा बोतलें मिली थीं, जो अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार भी आरोपी प्रतिवादीगण के पिता चौधरी भजन लाल के शयनकक्ष की अलमारी से बरामद की गई थी, न कि आरोपी प्रतिवादीगण के कब्जे से।केवल इसलिए कि अभियुक्त उत्तरदाता उक्त घर के मालिक थे, अपने आप में, अभियुक्त प्रतिवादीगण को शराब के कब्जे में पाए जाने के अपराध के लिए दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, भले ही रिकॉर्ड में यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि अभियुक्त प्रतिवादीगण के पास उक्त शराब जानबूझकर थी।

(12) **पबितर** ***सिंह बनाम बिहार राज्य*** *(3) के* मामले में, उच्चतम न्यायालय के उनके अध्यक्षों ने यह अभिनिर्धारित किया था कि जहां

क्वार्टर के एक कमरे से एक बंदूक बरामद की गई थी, जो दो व्यक्तियों के संयुक्त कब्जे में थी और उनमें से एक छापे के समय मौजूद नहीं था, उस कमरे में केवल दूसरे की उपस्थिति उसे अपराध का दोषी बनाने के लिए पर्याप्त नहीं थी, जब तक कि अदालत इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकती कि यह मानने का कारण था कि वह उस कमरे में बंदूक की मौजूदगी से अवगत था।उक्त निर्णय में आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि चूंकि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा था कि छापे के समय वह उस कमरे में अकेले कब्जे में था और बंदूक को इस तरह से छुपाया गया था कि वह नग्न आंखों को दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता था कि वह बंदूक की मौजूदगी के बारे में जानता था।वह संदेह के लाभ का हकदार था और इस प्रकार उसे बरी कर दिया गया।वर्तमान मामले में, एकमात्र सामग्री जो रिकॉर्ड में आई है, वह यह है कि विचाराधीन घर आरोपी प्रतिवादीगण के स्वामित्व में था।अभिलेख पर यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं आया है कि अभियुक्त प्रतिवादीगण के पास उक्त घर का अनन्य अधिकार था।दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष का मामला जैसा कि फर्द बरामदगी में विस्तृत है, यह है कि शराब चौधरी भजन लाई के शयनकक्ष की अलमारी से बरामद की गई थी।

(14) अभियोजन पक्ष के इस दावे के आलोक में, मेरी राय में, किसी भी तरह की कल्पना किये, यह नहीं कहा जा सकता है कि आरोपी उत्तरदाताओं के पास शराब थी जो कथित तौर पर एक शयनकक्ष की अलमारी से बरामद की गई थी जिसे चौधरी भजन लाल (आरोपी उत्तरदाताओं के पिता) का बताया गया था।अभिलेख पर रखी गई सामग्री के आधार पर, नीचे दी गई दोनों अदालतों की राय थी कि अभियुक्त प्रतिवादीगण के खिलाफ आरोप निराधार था।तदनुसार, विद्वान अतिरिक्त

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट *ने 27* फरवरी, 1999 के आदेश के माध्यम से अभियुक्त प्रतिवादीगण को आरोपमुक्त करने का आदेश दिया था और विद्वान अतिरिक्त *सत्र* न्यायाधीश ने 26 मई, 1999 के आदेश के माध्यम से हरियाणा राज्य द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें अभियुक्त प्रतिवादीगण को आरोपमुक्त करने के आदेश को चुनौती दी गई थी।वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर, मेरी राय में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत वर्तमान याचिका में इस अदालत द्वारा हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनाया गया है। विशेष रूप से जब याचिकाकर्ता नीचे दी गई अदालतों द्वारा पारित आदेशों में किसी भी अवैधता या अनियमितता को इंगित करने में विफल रहा हो।

(15) इस मामले का एक और पहलू है जिस पर इस अदालत द्वारा विचार करने की आवश्यकता है।हरियाणा राज्य में 1 जुलाई, 1996 से प्रतिबंध लागू किया गया था जो 31 मार्च, 1998 तक जारी रहा। प्रतिबंध के दौरान, केवल शराब रखना एक अपराध था।इसके बाद, पंजाब आबकारी अधिनियम में संशोधन किया गया और शराबबंदी हटा ली गई। पंजाब आबकारी *अधिनियम* (हरियाणा चौथा संशोधन) अध्यादेश 1998 (1998 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 2) के माध्यम से पंजाब आबकारी *अधिनियम में* संशोधन किया गया था- बाद में, उक्त अध्यादेश को पंजाब उत्पाद शुल्क (हरियाणा तीसरा संशोधन अधिनियम) 1998 (हरियाणा अधिनियम संख्या 20, 1998) के आधार पर निरस्त कर दिया गया।।उक्त संशोधन अधिनियम के आधार पर, धारा 80-ए प्रस्तावित की गई थी, जिसके तहत जिसके तहत शराब रखने का अपराध 750 मिलीलीटर की 4 बोतलों से अधिक नहीं होना चाहिए। 1 जुलाई, 1996 से 3 मार्च, 1998 की अवधि के दौरान प्रतिबद्ध प्रत्येक को रुपये की राशि के भुगतान पर समझौता योग्य बनाया गया था। 1,000 प्रति बोतल

या उसका हिस्सा और उक्त पैसे के भुगतान पर, यदि आरोपी व्यक्ति हिरासत में है तो उसे रिहाई दे दी जाएगी और ऐसे अपराध के संबंध में उसके खिलाफ आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।।बाद में, पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम को हरियाणा राज्य में पंजाब उत्पाद शुल्क (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 1999 (1999 का हरियाणा अधिनियम संख्या 2) के माध्यम से फिर से संशोधित किया गया, जिसके आधार पर पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 80-ए (जो हरियाणा राज्य पर लागू होती है) को प्रतिस्थापित किया गया और यह प्रावधान किया गया कि अदालत किसी भी व्यक्ति से संयोजन के रूप में स्वीकार कर सकती है, जिसके पास 31 जुलाई, 1996 से 31 मार्च, 1998 की अवधि के दौरान 750 मिलीलीटर की शराब की 4 बोतलें थीं।प्रत्येक क्षमता, रु 100 प्रति बोतल शराब या उसके हिस्से के लिए और इस प्रकार निर्दिष्ट धन के भुगतान पर, यदि आरोपी व्यक्ति हिरासत में है तो उसे रिहा कर दिया जाएगा और ऐसे अपराध के संबंध में उसके खिलाफ आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

(16) पंजाब आबकारी अधिनियम में उपरोक्त संशोधनों के अवलोकन से, जैसा कि हरियाणा राज्य पर लागू होता है, यह स्पष्ट होगा कि 750 मिलीलीटर की शराब की 4 बोतलें रखने की 1 जुलाई, 1996 से 31 मार्च, 1998 की अवधि के दौरान प्रत्येक क्षमता एक अपराध था जो रु। 100 प्रति बोतल शराब या उसका कुछ हिस्सा।वर्तमान मामले के अनुसार भी अभियोजन पक्ष ने शराब की दो बोतलें बरामद कीं, जिनमें से प्रत्येक बोतल से 3 चौथाई सामग्री का सेवन किया गया था और शेष सामग्री को दो पव्वा बोतलों में डाल दिया गया था।इस प्रकार, वसूली 750 मिलीलीटर की 1 बोतल से कम थी।यह अपराध रुपये के संयोजन शुल्क के भुगतान पर शमनीय होगा। 100 और उक्त धन के भुगतान पर, उक्त अपराध के संबंध में आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।यह

स्थिति होने के कारण, मेरी राय में, अन्यथा भी, अपराध एक तुच्छ प्रकृति का होने के कारण, इस न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 401 के साथ पठित धारा 397 के तहत अपनी शक्तियों के प्रयोग में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

(17 उपरोक्त दर्ज कारणों से, रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं पाए जाने पर इसे खारिज खारिज कर दिया जाता है।

आर.एन.आर

न्यायाधीश मेहताब एस. गिल के समक्ष

पवन कुमार गर्ग,-याचिकाकर्ता

बनाम

पंजाब कोऑपरेटिव कॉटन मार्केटिंग एंड स्पिनिंग मिल फेडरेशन लिमिटेड
& अन्य,-उत्तरदाता

2000 का सी.डब्ल्यू.पी. नं. 14340

20 फरवरी, 2001

भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 226 & 311–पंजाब सिविल सेवा (सजा और अपील) नियम, 1970- नियम. 9-याचिकाकर्ता को सभी *आरोपों से दोषमुक्त करने वाला पूछताछ अधिकारी-पूछताछ अधिकारी से असहमति जताते हुए प्राधिकरण को दंडित करना-क्या वह एक अन्य जांच अधिकारी* द्वारा समान *आरोपों की नए सिरे से जांच का आदेश दे* सकता *है- फैसला किया, नहीं-नए सिरे से जांच का आदेश देने वाले*

प्राधिकरण के आदेश को रद्द कर दिया गया और जांच रिपोर्ट जमा करने के समय मंच से जांच को फिर से शुरू करने की स्वतंत्रता दी गई।

फैसला किया कि *नियम* में 1970 के नियमों में से *नियम* 9 में इसका कहीं उल्लेख नहीं है कहा गया है कि *दंड प्राधिकरण* नए सिरे से जांच का आदेश दे सकता है।वह केवल उसी जांच अधिकारी द्वारा आगे की जांच का आदेश दे सकता है जिसने पहली बार में जांच की थी या यदि वह जांच अधिकारी के निष्कर्ष से असहमत है, तो उसे अपने कारणों को दर्ज करना होगा कि वह क्यों असहमत था।दण्ड प्राधिकरण विवरण में नहीं गया है /

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सिद्धांत रॉयल

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

जगाधरी, हरियाणा